बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.07.2025

थाना शाही

थाना शाही #bareillypolice द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 तमचा 315 बोर, 03 तमंचा अधबने, 01 पौनिया एंव शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.07.2025 को थाना शाही पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते अभि0 मो0 अकरम पुत्र शोकत अली उम्र 33 बर्ष निवासी जाम बाजार खजुर गोटिया थाना बहेडी जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिन्दा कारतूस 312 बोर, चार तमंचे अधबने, एक पौनिया एंव अवैध तमंचा बनाने के उपकरण आदि बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 348/2025 धारा 5/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही

दिनांक 28.07.25 को समय 12.30 बजे उ0नि0 देवेन्द्र सिंह, हे0का0 698 देवेन्द्र कुमार, का0 1146 आसिफ, का0 3339 अमित कुमार देखरेख शान्ति व्यवस्था हेतु गश्त करते हुए आन्दपुर मन्दिर के पास पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति आनन्दपुर से दुनका की तरफ आम के बाग में खण्डहर के पास अवैध तमंचे बना रहा है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर आनन्दपुर से दुनका की तरफ आम के बाग में पहुंचे तो आम के बाग में हवा वाला पंखा चलाकर आग जला रखी है तथा एक हाथ में हथौडी तथा दूसरे हाथ में नाल को पकड़ कर आग में गर्म कर रहा है। पुलिस टीम को पूर्ण यकीन होने पर उक्त व्यक्ति को मौके पर ही पकड लिया, जिसने अपना नाम मो0 अकरम पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम जाम बाजार खजूर गौटिया थाना बहेडी जिला बरेली उम्र 33 वर्ष बताया, मौके पर अभियुक्त के कब्जे से **एक नाजायज तमंचा 12 बोर , एक जिन्दा कारतूस 12 बोर, हवा देने के लिये लोहे की मशीन बरामद, एक हथौडी, एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर, दो तमंचे अधबने 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर अधबना, तीन लोहे की नाल, एक रेती, एक छेनी, एक आरी, दो लोहा खटका लगाने हेतु, रेगमाल, एक डिब्बा पेंच, एक लोहे की राड, एक लोहे का ठिया, एक प्लास, एक पेचकस, एक लाईटर, एक टार्च आदि अन्य बरामद हुए।** बरामदगी के आधार पर मुअ0स0 348/25 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ-

अभियुक्त मो0 अकरम पुत्र शोकत अली उम्र 33 वर्ष, निवासी जाम बाजार खजूर गोटिया, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली ने पूछताछ में बताया कि मै बहेडी मंडी में काम करता हूं। वहां कम रुपये मिल पाते है जिससे घर का खर्च नहीं चल पाता है। जब भी मुझे समय मिलता है, मै यहां ये देशी तमंचे ,पौनिया कारतूस आदि बनाकर बेच देता हूँ, जिससे दो पैसे अच्छे मिल जाते है तथा घर का खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो0 अकरम पुत्र शोकत अली उम्र 33 बर्ष निवासी जाम बाजार खजुर गोटिया थाना बहेडी जनपद बरेली।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 352/2023 धारा 363/366 भादवि थाना बहेडी जनपद बरेली
मु0अ0स0 348/2025 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना शाही जनपद बरेली

बरामदगी-

01. 01 तमंचा, एक जिन्दा कारतूस 12 बोर
02. 01 तमंचा 315 बोर
03. 03 अदद तमंचा अधबने
05. 01 पौनिया
06. हवा की मशीन, एक हथौड़ी, तीन लोहे की नाल, एक रेती, एक छेनी, एक आरी, दो लोहे के खटका, एक रेगमाल, एक डिब्बा पेंच, एक लोहे की राड, एक लोहे की ठिया, एक प्लास, एक पेचकस, एक लाइटर, एक टार्च, कोयला आदि ।

पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना शाही जनपद बरेली।
2. हेका00 698 देवेन्द्र कुमार थाना शाही जनपद बरेली ।
3. का0 1146 आसिफ थाना शाही जनपद बरेली ।
4. का0 3339 अमित कुमार थाना शाही जनपद बरेली ।